सन्त द्वार एडीपीओ।

यादव एम0एस0 如 हेतु नियत अधिवक्ता श्री प्रकरण अभियोजन साक्ष्य सहित आभियुक्त

उपस्थित। फरियादी रवि स्वयं

private Afcons Infrastructure स्लेप मध्यस्थता रखते 哲 वस्तु को ध्यान में Company 4 अनुसार विवाद मध्य Construction निर्श विषय दृष्टात 18 प्रकरण की पक्षों 1 न्याय Varkey C 24 详 保 उभय होना संभव प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं Cheriyan (2010)8 SSC उपयुक्त प्रकरण है। Vs 本 Limited Limited निराकरण लिए एक प्रकरण

प्रशिक्षत द्वारा उनके किया 4 मुंछे जाने चुनाव 4 मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जे०एम०एफ०सी० गोहद 本 सबध 18 मध्यस्थता 下 उभयपक्षों

दिनाक 1015 हस्ताक्षर जाये। मध्यस्थ को निर्वेशित किया सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत 18 व उनके अधिवक्ताओं मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों भूग उपरोक्त मध्यस्थ को का परिणाम मध्यस्थता हित्र स्वित करें। अतः कर मध्यस्थता 10 4 पक्र

15 मध्यस्थ प्रशिक्षत उप0 रहें। 18 अधिवक्तागण स्वतः ब्र ति हेतु मय अ मध्यस्थता क आज दिनांक 15.11.16 उभयपक्ष

के प्रतिवेदन कार्यवाही प्रकरण आगामी दिनांक 21.12.16 को मीडियेशन प्रस्तुती हेतु पेश

distt. Bhind (M. dicial Magistrate Gohad distt. Bhir

Date of Order or Proceeding

शायिक मिणस्ट्रेट प्रथम श्रण Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

कित स्टूट ग्राज्या

Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

मध्यस्थता न्यायालय से मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूचना प्राप्त।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पर् अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव एव अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियावी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि० की धारा 294, 325, 506 भाग-2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमित्र कि क्रिक्ट के स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध निक को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दूर्या रिशित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 325 एवं 506 भाग-2 भा0द0वि० के अपराध आरोपों भी राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण मे जप्त शुदा मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

प्रेषित हो।